उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या: 99/2022/1789/ छप्पन-2022-06/2013
लखनऊ, दिनांक: 26 दिसम्बर, 2022

कार्यालय-ज्ञाप

नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधीन एयरोनाटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उ0प्र0, लखनऊ में कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 2117/छप्पन-2012-35/2010, दिनांक 03 जनवरी, 2013 द्वारा श्री मोहम्मद अहमद सिद्दीकी को प्रवक्ता (विद्युत) के पद पर नियत मासिक पारिश्रमिक रूपए 31,000/- (रूपए इकत्तीस हजार मात्र) पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिए संविदा पर नियुक्त किया गया था। श्री मोहम्मद अहमद सिद्दीकी, प्रवक्ता (विद्युत) की सेवाओं की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए उनकी संविदा सेवा अवधि वर्षानुवर्ष बढाई जाती रही। शासनादेश संख्या: 107/2021/1981/छप्पन-2021-06/2013 दिनांक 22 दिसम्बर, 2021 के द्वारा उनकी संविदा सेवा अवधि दिनांक 07 जनवरी, 2022 से आगामी 01 वर्ष (दिनांक 06 जनवरी, 2023 तक) के लिए बढ़ायी गई थी। निदेशक, एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा श्री मोहम्मद अहमद सिद्दीकी, प्रवक्ता (विद्युत) की संविदा अवधि दिनांक 07 जनवरी, 2023 से आगामी 02 वर्ष के लिए बढाए जाने के लिए संस्तुति की गई है।

2- अत: निदेशक, एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उ0प्र0 लखनऊ के प्रस्ताव दिनांक 03 नवम्बर, 2022 पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, लखनऊ उ0प्र0 में प्रवक्ता (विद्युत) के पद पर कार्यरत श्री मोहम्मद अहमद सिद्दीकी की संविदा अवधि दिनांक 07 जनवरी, 2023 से आगामी 01 वर्ष (अर्थात् दिनांक 06 जनवरी, 2024 तक) के लिए वर्तमान में अनुमन्य नियत मासिक पारिश्रमिक रू0 74,108/- (रूपए चौहत्तर हजार एक सौ आठ मात्र) पर बढ़ाए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- श्री मोहम्मद अहमद सिद्दीकी से प्रवक्ता (विद्युत) के पद पर उनकी संविदा सेवा के सम्बन्ध में निदेशक, एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध-पत्र निष्पादित करके उसकी 01-01 प्रति उन्हें एवं शासन को उपलब्ध कराई जाएगी।

आनन्द कौशिक
अनु सचिव

2/...

1. **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है ,अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**
2. **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** ीजजचरूध्धैंदंकमौण्नचण्हवअप्पद **से सत्यापित की जा सकती है ।**

पृ0सं0- 99/2022/1789 (1)/छप्पन-2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि श्री मोहम्मद अहमद सिद्दीकी, प्रवक्ता (विद्युत) से निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध-पत्र निष्पादित करके उसकी 01 प्रति अभिलेखार्थ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
2. श्री मोहम्मद अहमद सिद्दीकी, प्रवक्ता (विद्युत), एयरोनाटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट,नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ ।
3. महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0 प्रयागराज।
4. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 ।
7. गार्ड फाइल

आज्ञा से,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1. **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है ,अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**
2. **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** ीजजचरूध्ैंदंकमौण्नचण्हवअप्पद **से सत्यापित की जा सकती है ।**